भारत सरकार **लोकसभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 358**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अलफांसों आमों का निर्यात

358. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2026 के दौरान प्रतिकूल मौसम, प्रमुख आयातक देशों में विनियामक प्रतिबंधों और बढ़ती संभार लागतों के कारण महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अलफांसों आमों का निर्यात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोंकण क्षेत्र, विशेषकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में बेमौसम लू और अनियमित जलवायु परिस्थितियों के कारण फसल का भारी नुकसान हुआ है और निर्यात योग्य अधिशेष में कमी आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान और नेपाल जैसे देशों ने संगरोध, उपचारित करने संबंधी नयाचार और कीटनाशक अवशेषों संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हवाई माल भाड़े और शिपिंग शुल्क में हुई वृद्धि तथा पश्चिम एशियाई व्यापार मार्गों में व्यवधानों के कारण महाराष्ट्र के निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बाजार पहुंच बहाल करने, निर्यात अनुपालन अवसंरचना को मजबूत करने, प्रभावित उत्पादकों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और महाराष्ट्र के हापुस आमों के लिए नए निर्यात गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (ख), (घ) एवं (ङ): महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि असामयिक लू तथा अनियमित जलवायु परिस्थितियों के कारण कोंकण क्षेत्र, विशेष रूप से रत्नागिरि एवं सिंधुदुर्ग जिलों में अल्फांसो आम की फसल को क्षति पहुँची है, जिससे आम के उत्पादन तथा निर्यात हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित हुई है।

इसके अतिरिक्त, निर्यातकों ने पश्चिम एशिया एवं मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिति के कारण मालभाड़ा दरों में वृद्धि, युद्ध-जोखिम अधिभार लगाए जाने, कंटेनरों की कमी, खेप प्रेषण अनुसूचियों में विलंब तथा बंदरगाहों पर भीड़भाड़ जैसी बाधाओं की सूचना दी है।

महाराष्ट्र के निर्यातकों सहित निर्यातकों को सहयोग प्रदान करने के लिए, सरकार ने भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के माध्यम से निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत रिलीफ - रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन का क्रियान्वयन किया है और इसमें बीमित निर्यातकों के लिए सहयोग, आगामी शिपमेंट के लिए बीमा कवर की सुविधा और प्रभावित पश्चिम एशिया क्षेत्र में शिपमेंट पर असाधारण माल भाड़ा और बीमा अधिभार बोझ का सामना करने वाले पात्र एमएसएमई निर्यातकों के लिए प्रतिपूर्ति सहायता शामिल है।

वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से आम सहित अधिसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना के विभिन्न घटक, अर्थात् निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास तथा बाज़ार विकास, बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं, निर्यात अनुपालन अवसंरचना को सुदृढ़ करते हैं तथा नए गंतव्यों तक निर्यात के विस्तार को सुगम बनाते हैं।

सरकार अलफांसो आम सहित भारतीय आमों की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके परिणामस्वरूप जिन देशों को अलफांसो आम का निर्यात किया जा रहा है, उनकी संख्या वर्ष 2020-21 में 24 से बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 34 हो गई है। महाराष्ट्र सहित भारत में उत्पादित आमों की वैश्विक पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, आइसलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रुनेई, क़तर, इटली, रूस आदि सहित 15 से अधिक देशों में आम संबंधी प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग): नेपाल को आम के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित फायटोसॅनिटेरी आवश्यकताओं के अध्यधीन आम के आयात की अनुमति है। जापान के संबंध में, वर्ष 2026 में जापान के कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय (एमएएफएफ) द्वारा भारतीय सुविधा-केन्द्रो के पूर्व-मौसम निरीक्षण के दौरान कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिनका समाधान राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (एनपीपीओ), भारत द्वारा कर दिया गया है। राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (एनपीपीओ), जापानी बाज़ार में आम के निर्यात की पुनर्बहाली के लिए जापानी पक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु जापान के कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय (एमएएफएफ) के साथ निरंतर नियोजित है।
